राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमाक प0 6(30)राज–6 / 2000 16 जयपुर, दिनांक:– 15/9/2015

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान भू राजस्व (गौशाला को भूमि आवंटन) नियम 1957 के निमय 8 के उप नियम(3) में अधिसूचना कमांक एफ 6(30)राज–6 / 2000 / 5 दिनांक 09.04.2015 द्वारा संशोधन कर एक नवीन परन्तुक जोडा जाकर यह उपबन्धित किया गया कि कलक्टर कारणों को अभिलेखित कर लीज डीड 30 वर्ष अथवा जब तक पट्टेदार गौशाला में गवेशियों को रखने के प्रयोजनार्थ उपयोग करे अवधि जो भी कम हो, राज्य सरकार की अनुमति से कर सकेगा।

उक्त प्रावधान के कम में कतिपय जिला कलक्टर द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि नियम 8(3) के अन्तर्गत जिन मामलों में लीज 20 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित है एवं उनमें 20 वर्ष की अवधि पूर्ण नही हुई है उनकी अवधि तीस वर्ष तक बढाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश हो रहे है, के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 09.04.2015 के अनुसरण में लीज डीड की अवधि 20 वर्ष से 30 वर्ष के लिए नवीनीकरण की जावे या नहीं।

अधिसूचना दिनांक 09.04.2015 द्वारा किए गये संशोधन की मंशा यह है कि भारतीय जीव जन्तु बोर्ड चैन्नई उन गौ–शालाओं को अनुदान देता है जिनकी अवधि तीस वर्ष है। जिन गौशालाओं की लीज बीस वर्ष है, वह अनुदान हेतु पात्र नही है।

यहॉं यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन गौशालाओं की लीज 20 वर्ष की है और उनकी लीज अवधि 20 वर्ष पूर्ण नही हुई है, उसके उपरान्त भी वह लीज अवधि 30 वर्ष कराना चाहते हैं तो उसे बढाकर 30 वर्ष कर दिया जाये। 30 वर्ष की लीज अवधि करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करे।

भवदीय,

(डॉ कुन्ज बिहारी पण्ड्या)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय राजस्व विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, राजस्व सचिव,।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव, राजस्व सचिव,।
6. निबंधक राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
7. निर्देशक सूचना, एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव